

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था 2/सी/स्था/07/2010/ 600


मध्यप्रदेश शिक्षण

4.5.10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना संस्था से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की प्रतीक्षा नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	अशोक तिवारी (गणित)	अप्राप्त	शास.क.उर्दू उ.मा.वि. हरीपुरा जिला बुरहानपुर किया गया स्थानान्तरण सरोधन	23480277703	शास.क.उ.मा.वि मैहर जिला कटनी	23130277705
2	श्री रमाकांत खरे (इतिहास)	अप्राप्त	शास उत्कृ उ.मा.वि. जतारा जिला टीकमगढ	23080277702	शास.उत्कृ.उ.मा.वि डबरा जिला ग्वालियर	23040577705
3	श्रीमती रत्नमाला दीक्षित (इतिहास)	अप्राप्त	शास.उत्कृ.बा.उ.मा. वि.चंदेरी जिला अशोकनगर	23460577705	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. मुरार जिला ग्वालियर	23040577707
4	त्रिभुल्लेखा पचौरी (रसायन)	अप्राप्त	शास.गजाराजा क. उ.मा.वि ग्वालियर	23040577715	शास.क.उ.मा.वि. गांधी नगर भोपाल	23320677732
5	श्रीमती रोता वर्मा (जीव विज्ञान)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. खैरलांजी जिला बालाघाट	23450477702	शास.कमला नेहरू क.उ.मा.वि. वाराणसिदनी जिला बालाघाट	23450777702



आदेश

क्रमांक/स्था 2/सी/स्था/07/2010/

601

मध्यप्रदेश शिक्षण 4.5.10


प्रकाशित:-

1. जिला अधिकायक जिला बुरहानपुर स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल
2. जिला अधिकायक जिला अशोकनगर स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. जिला अधिकायक जिला बुरहानपुर/कटनी/टीकमगढ/ग्वालियर/अशोकनगर/बालाघाट।
4. जिला अधिकायक जिला बुरहानपुर/कटनी/टीकमगढ/ग्वालियर/अशोकनगर/बालाघाट।
5. जिला अधिकायक जिला अशोकनगर संभागीय कार्यालय इन्दौर/जबलपुर/समर/ग्वालियर/भोपाल।
6. जिला अधिकायक जिला बुरहानपुर/कटनी/टीकमगढ/ग्वालियर/अशोकनगर/बालाघाट।
7. जिला अधिकायक जिला बुरहानपुर/कटनी/टीकमगढ/ग्वालियर/अशोकनगर/बालाघाट। म.प्र. की ओर अप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को

11/11

न संवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता हैं तथा स्थान-निहित स्थिति में विद्यमान स
संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आशुस्त होने पर ही संबंधित का एक सप्ताह
में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार
की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो उसके पालन में कर्तव्य
व्यवस्थापति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश
का पालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूर्ण उत्तरदायी पालन के लिए निर्दिष्ट संचालनालय
प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाये।

- 8 संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
- 9 संबंधित की ओर सूचनार्थ



लोक शिक्षण मंडल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./22/2010/ 602

भोपाल,दिनांक 04

01
11

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इसे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एम.के.सेनो (गणित)	अप्र.प्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. आष्टा जिला सीहोर	23330177702	शास.उ.मा.वि. अहमदाबाद कोहेफिजा भोपाल	23320877731
2	श्री विरेन्द्र कुमार सेन (गणित)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. राघौगढ जिला गुना	23070977702	शास.उत्क.उ.मा.वि. राघौगढ जिला गुना	23070977701



आयुक्त


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल दिनांक 04

05
10

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./22/2010/ 603
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल / ग्वालियर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर / भोपाल / गुना। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभर ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये दस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

